प्रस्तावना

कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) सेवा कर्मियों तथा रक्षा असैनिकों को बाज़ार से कम दामों पर गुणवत्तायुक्त उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी है। छः दशक पहले हुई एक मामूली शुरूआत से, सीएसडी में वर्ष 2015-16 अवधि के दौरान ₹ 15000 करोड़ से ज़्यादा की वार्षिक टर्न-ओवर के साथ तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। आज की तारीख में सीएसडी के साथ पंजीकृत उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या 5500 से अधिक है। सीएसडी अपने एक बेस डिपो तथा 34 एरिया डिपो की श्रृंखला के ज़रिए एक थोक विक्रेता के रूप में कार्य करता है तथा खुदरा प्रचालन लगभग 4000 युनिट रन कैंटीन (यूआरसी) के माध्यम से चलाए जाते हैं। ये युनिट रन कैंटीन जिसमें कुछ बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, इन वस्तुओं को अंततः लाभार्थियों को बेच देती है।

विभाग के अधिदेश तथा दायित्व को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2015 से नवंबर 2015 तक "कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिससे कि यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि सीएसडी अपने इस आदर्श उद्देश्य को अधिकतम उपभोक्ता माँग संतुष्टि के साथ पूरा करने में समर्थ था। प्रणाली संबंधी कमियों को रेखांकित करते हुए तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करते हुए, यह रिपोर्ट डिपो एवं यूआरसी के प्रचालनों में समग्र सुधार लाने का प्रयास करती है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए की गई है तथा यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार की गई है।